

पश्चिम रेलवे

पत्रांक :ईटी/839/4/गार्ड-एमवीआई-टीएनसी

मण्डल रेल प्रबंधक कार्यालय, रतलाम

दिनांक :05.11.2020

प्रति,

मण्डल मंत्री,

वे. रे.ए.यू. रतलाम ।

विषय : एमएसीपीएस के तहत ग्रेडपे 4200/- का लाभ दिनांक 24.08.2018 से प्रदान करने बाबद प्रकरण श्री दयाल सिंह बिष्ट गु.गार्ड अधीन एसएस-डीएडीएन।

सन्दर्भ: इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 02.11.2020 ।

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में अवगत कराया जाता है कि श्री दयाल सिंह बिष्ट की नियुक्ति दिनांक 21.01.2005 को एसीसी के पद पर 2000/- ग्रेडपे में हुई तत्पश्चात इन्हें वरि.बुकिंग / लगेज बाबू 2800/- ग्रेडपे में दिनांक 17.07.2008 को पदोन्नति प्रदान की गई। इसी बीच ए.वी.सी.(AVC) के अनुसार कर्मचारी का समान वेतनमान 2800/- ग्रेडपे में गुड्स गार्ड के पद पर चयन होने पर दिनांक 24.02.2010 को पदोन्नति प्रदान की गई।

कर्मचारी की दिनांक 17.07.2008 से 10 वर्ष की सेवा दिनांक 17.07.2018 को पूर्ण होने पर एमएसीपीएस के तहत ग्रेडपे 4200/- की पात्रता बनती है परंतु कर्मचारी की वर्ष 2016-17 की एपीएआर (APAR) "गुड" होने के कारण इन्हें एमएसीपीएस का लाभ नहीं दिया गया था।

कर्मचारी की एपीएआर की जाँच करने पर पाया गया कि कर्मचारी दिनांक 01.04.2019 तक एमएसीपीएस के लिए उपयुक्त नहीं है। उल्लेखनीय है कि कर्मचारी को वरि.गुड्स गार्ड के पद पर दिनांक 04.06.2019 को 4200/- ग्रेडपे में पदोन्नति प्रदान की जा चुकी है। अतः इन्हें वर्तमान में एमएसीपीएस की पात्रता नहीं बनती है।

सूचनार्थ प्रेषित है।

(दीपक परमार)

मंडल का मिक अधिकारी

कृते मण्डल रेल प्रबंधक(स्था.) रतलाम

प्रतिलिप: एसएस-डीएडीएन

यह पत्र ई समाधान पर उपलब्ध है